

जयपुर वगाम नगर

148/2024

12/8/24

आज जाट नारी वंश का पालन करने के कारण न्यायिक दायित्व नहीं की जा सकती। पी.पी.ओ. द्वारा कृषि क्षेत्र में व्यवस्था है। अतः पत्राचार के अनुसार दिनांक 10/9/24 को पेश हो।

10/9/24

पत्राचार के अभाव में न्यायिक दायित्व नहीं की जा सकती। पी.पी.ओ. द्वारा कृषि क्षेत्र में व्यवस्था है। अतः पत्राचार के अनुसार दिनांक 10/9/24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Reads
5/6/24



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वितीय सांगानेर जयपुर

प्रार्थना पत्र संख्या :- 148/2024

जयदेश पुत्र काना जाति जाट निवारी ग्राम पंचालिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

— प्रार्थी

बनाम

1. श्रवण लाल दत्तक पुत्र जयराम जाति जाट निवारी ग्राम पंचालिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

— अप्रार्थीगण


प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2

एवं धारा 151 सी0 पी0 सी0

महोदय जी,

प्रार्थी की ओर से निम्न प्रकार प्रार्थना पत्र सादर प्रस्तुत है:-

1. यह कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध गाननीय न्यायालय हाजा में उक्त उनवानी दावा बाबत रथाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया है जो ठोस, सारवान तथ्यों एवं प्रलेखीय साक्ष्यों पर आधारित होने से प्रार्थी को उक्त वाद में सफलता मिलने की पूर्ण आशा है।
2. यह कि प्रार्थी काश्तकार पैसा भोला भाला व्यक्त है, काश्त कर बमुश्किल अपने परिवार का तालन पालन करता आ रहा है।
3. यह कि राजस्व ग्राम पंचालिया पटवार क्षेत्र पंचालिया, भू-अगिलेख निरीक्षक क्षेत्र मुहाना, तहसील सांगानेर जिला जयपुर कृषि भूमि खाता संख्या नया 94 पुराना 89 के खसरा नम्बर 383 रकबा 0.0700 हैक्टेयर खसरा नम्बर



क्र. जयदेश

